

वाद पत्र स.142/2017
पतासी आदि बनाम भूरी आदि,
निर्णय दिनांक 5/7/23

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुझुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान , R.A.S.

राजस्व वाद स. 142/2017

पतासी आदि

- बनाम - भूरी आदि

दावा - घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरुस्ती

वादीगण की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 2 लगायत 16 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट उपस्थित प्रतिवादी स. 23 की ओर से श्री सत्येन्द्रमान अधिवक्ता उपस्थित इस वाद में आज तारीख 5/7/23 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

" अतः वाके ग्राम बनवास तह. बुहाना स्थित भूमी हाल ख.न. 45 रकबा 0.08 हैक्टर ख.न. 48 रकबा .10 हैक्टर किता 2 रकबा 0.18 हैक्टर में वादीगण स. 1 लगायत 8 का 3/16 हिस्सा वादीगण स. 9 लगायत 13 का 3/16 हिस्सा घोषित कर प्रतिवादी स. 1 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स. 8 लगायत 12 का 3/16 हिस्सा प्रतिवादी स. 13 लगायत 22 का 3/16 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त करने का एवं वाके ग्राम बनवास तह. बुहाना स्थित भूमी हाल ख.न. 46 रकबा 0.28 हैक्टर ख.न. 47 रकबा 0.25 हैक्टर किता 2 रकबा 0.53 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर रकबा में वादीगण स. 1 लगायत 8 के 3/16 हिस्सा का वादी स. 9 लगायत 13 को 3/16 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स. 1 लगायत 7 को 1/4 प्रतिवादी स. 8 लगायत 12 को 3/16 प्रतिवादी स. 13 लगायत 22 को 3/16 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रिकॉर्ड दुरुस्त करे इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो । "

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

जिला झुझुनू (राज.)

